15

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0 ई0 आर वाद संख्या 10/2014.2015

(1)अंचल अधिकारी गोड्डा

(2)परिजात कुमार श्रीवास्तव –वादी

वनाम्

जगदीश पूर्वे–प्रतिवादी

सत्यनगर गोड्डा

–:आदेश:–

04.02.23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख वद्व कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान् प्रक्रिया अंचल अधिकारी गोड्डा का पत्रांक 706/रा0 दिनांक 16.10.2014 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी गोड्डा ने उल्लेख किया है। कि मौजा गोढ़ीमाल थाना न0 503 जमावंदी न0 50 दाग न0 234 रकवा 00–01–00 एक कट्ठा धूर भूमि से सं0 प्र0 काश्त कारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उक्त जमीन से जगदीश पूर्वे साकिन सत्य नगर गोड्डा को उच्छेद करने के लिए लाया गया है।

अंचल अधिकारी गोड्डा ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से मकान बना हुआ है, एवं चहार दिवारी बना हुआ है।

प्रश्नगत जमीन का जमावंदी रैयत महादेव प्रसाद मजुमदार बल्द प्रशन्न कुमार मजुमदार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

उपरोक्त वाद में विपक्षी को उपस्थित हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी जगदीश पूर्वे इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन एवं सवंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए उपरोक्त प्रश्नगत जमीन मौजा गोढ़ीमाल जमावंदी न0 50 दाग न0 234 के अन्दर रकवा 00–01–00 धूर जमीन विपक्षी जगदीश पूर्वे को वसो वास हेतु वर्ष 1936 ई में कुर्फा के द्वारा जमावंदी रैयत की पुत्री रानी वाला देवी द्वारा विपक्षी जगदीश पूर्वे के ससुर प्रभाष पंजियारा स्थाई निवासी ग्राम जगदीशपुर जिला भागलपुर विहार को वर्ष 1936 में जमावंदी रैयत की पुत्री रानीवाला देवी द्वारा कुर्फा से वन्दोवस्त कर दिया गया है। प्रभाष पंजियारा के द्वारा में अपनी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी कुमारी कुर्फा वन्दोवस्त वाली जमीन शादी में सोगात के रूप में दान स्वरूप दे दिया उसी समय से लक्ष्मी कुमारी पति जगदीश पूर्वे मकान बनाकर सपरिवार के साथ रह रहे है। उक्त मकान का गोड्डा नगर परिषद से होल्डिग टेक्स आदा कर रसीद प्राप्त कर रहा है। उक्त

मकान में उनके नाम बिजली कनेक्सन और बिजली का भुगतान कर बिजली बिल प्राप्त कर रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनके एवं उक्त जमीन पर दखलकार एवं मकान के संबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज समर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जमांबदी रैयत के वारिसान शपथकर्त्ता द्वारा यह बात स्वीकार किया गया है। विपक्षी को उक्त जमीन कुर्फा के आधार पर दिया गया है। जिसमें विपक्षी का मकान है जिसमें सपरिवार बसोबास करते चले आ रहे है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्न नहीं रह गया है उसका स्वरूप वसौढ़ी हो गया है। और मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज समर कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्रीमान के यहां लंबित आर0ई0आर0 वाद संख्या–10/2014–2015 के प्रश्नगत जमाबंदी संख्या–50 के दाग नं0–49 पर सरिता देवी पति–गणेश पंडित का मकान अवस्थित होने के कारण आर0ई0आर0 वाद सं0–01/2014–2015 को वापस लेने का आवेदन दिया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी रैयत के वारिशानों को विपक्षी का उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान बने रहने से और बसोबास करने के उनकी कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा का न्यायालय का R.M.A No. 13/2017-2018 भवानी देवी बनाम परिजात कुमार श्रीवास्तव के आदेश में पारित आदेश दिनांक–03/11/2021 का अभि प्रमाणित प्रति का छायाप्रति समर्पित करते हुए कहा कि प्रश्नगत जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 में इसी तरह के मामले में श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा द्वारा मकान बने रहने के कारण उक्त जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा द्वारा उच्छेदी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता भवानी देवी का अपील को स्वीकृत किया है। एवं उनके दखल कब्जा को बरकरार रखा है इस वाद में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से दखल कब्जा है एवं मकान बना हुआ है प्रश्नगत जमीन के जमांबदी रैयत नहीं है इस लिए विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत नहीं होगा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेख बद्ध कागजातो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मजुमदार के नाम से दर्ज है।

विपक्षी के द्वारा उक्त जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 रकवा–00–01–00 धूर जमीन विपक्षी जगदीश पुर्वे का ससुर प्रभाष पंजियार को कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं जिसे जमाबन्दी रैयत के वंशज समर कुमार श्रीवास्तव अपने शपथ पत्र संख्या 1301 दिनांक–04–04–2009 द्वारा स्वीकार किया है। कि विपक्षी को प्रश्नगत जमीन वर्ष 2009 ई0 में कुर्फा से प्राप्त हुआ है एवं कुर्फा के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी मकान बनाकर निवास कर रहे है।

अंचल अधिकारी गोड्डा से वर्तमान स्थति का प्रतिवेदन की माँग की गई थी अंचल अधिकारी गोड्डा सदर का पत्रांक– 117/रा0 दिनांक– 24.01.2023 से प्रतिवेदित किया है कि उक्त जमीन पर विपक्षी का मकान एवं चाहार दिवारी के साथ दखल कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया

04.2.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

04.2.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 12:50:08 +05:30
Location: 192.168.29.124